न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय,

जयपुर शहर, जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्याः–70/2016

पीठासीन अधिकारी–विष्णु कुमार गोयल (I) आर.ए.एस.

1 श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल मीणा

2 शंभुलाल पुत्र स्व. श्री गोपाल मीणा

3 प्रहलाद पुत्र स्व. श्री गोपाल मीणा

4 शंकर पुत्र स्व. श्री गोपाल मीणा

5 रामकेंश पुत्र स्व. श्री गोपाल मीणा

6 श्रीमती इन्द्रा मीणा पत्नी श्री राजकुमार पुत्री स्व. श्री गोपाल मीणा

7 श्रीमती शान्ति पत्नी स्व.श्री बाबू मीणा

8 रणजीत पुत्र स्व. श्री बाबू मीणा

9 राजपाल पुत्र स्व. श्री बाबू मीणा

10 श्रीमती माया पत्नी नामालुम पुत्री स्व. श्री बाबू मीणा

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम लूनियावास तहसील व जिला जयपुर के जरिये मुख्त्यार आम श्री रामलाल मीणा पुत्र स्व. श्री गोपाल मीणा उम्र साल निवासी ग्राम पोस्ट लूनियावास तहसील व जिला जयपुर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1 फूलाराम मीणा पुत्र श्री सोहन लाल निवासी लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2 बाबूलाल मीणा पुत्र श्री रामप्रताप सा.बि.78 राजाराव जी का खुर्रा रामगंज चौपड जयपुर।

3 रामनारायण मीणा पुत्र छोटू राम निवासी ग्राम सोदियावास तहसील व जिला टोंक राजस्थान

4 श्रीमती रामचन्दी पत्नी छाजू मीणा निवासी धरवाली की ढाणी लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

5 तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

6 भू–प्रबन्ध अधिकारी भूप्रबन्ध विभाग जयपुर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.08.2019

प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र बंटवारा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 328 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 300 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा खातेदार लल्लू पुत्र सुक्खा व खसरा नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 133 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा खातेदार श्रवण पुत्र सुक्खा ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर बाबत प्रस्तुत किया। तथा उक्त वाद में प्रार्थीगण का कथन रहा कि सुक्खा के तीन पुत्र थे जो कि क्रमशः श्रवण पुत्र सुक्खा, गुल्ला पुत्र सुक्खा, लल्लू पुत्र सुक्खा थे सुक्खा के नाम कुल 30 बीघा 16 बीस्वा जमीन थी, उसके पास भूमि में तीनो पुत्र बराबर के हिस्सेदार थे। गुल्ला पुत्र सुक्खा ना औलाद फोत हो गया था सुक्खा की सम्पत्ति उक्त विवादित भूमि के दो

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हिस्सेदार रह गये। क्योकि उसका पुत्र गुल्ला नाऔलाद फोत हो गया था उसके कोई वारिसान नही है इस कारण गुल्ला के हिस्से की सम्पत्ति प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होने से उक्त भूमि के 1/2–1/2 बराबर के हिस्सेदार श्रवण पुत्र सुक्खा, लल्लू पुत्र सुक्खा के वारिसान है। वादीगण को जानकारी हुई कि सेटलमेन्ट के रिकार्ड में उनके नाम से गलत इन्द्राज भूमि को हो गया है उक्त तथ्य की जानकारी में आये व वादीगण के द्वारा रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये आवेदन किया जो कि 1.07.2016 को प्राप्त हुई जिसमें श्रवण के नाम से 22 बीघा 16 बिस्वा जमीन का इन्द्राज है व लल्लू पुत्र सुक्खा के नाम से केवल 8, आठ बीघा भूमि का इन्द्राज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि के बराबर के हिस्से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करने का आग्रह किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया समझाईश पर भी नही माने मित्रो परिजनो ने भी काफी समझाया कि सुक्खा की जमीन कुल 30 बीघा 16 बिस्वा अक्षरे तीस बीघा सोलह बिस्वा है, में वादीगण व प्रतिवादीगण बराबर के हिस्सेदार हो 1/2, 1/2 हिस्सो में श्रवण पुत्र सुक्खा की एक पुत्री श्रीमंती कविता व कल्याण पुत्र है जिसका कि 1/2 हिस्सा 15 बीघा 8 बिस्वा अक्षरे पन्द्रह बीघा आठ बिस्वा होता है तथा लल्लू पुत्र सुक्खा के दोनो पुत्र गोपाल के पांच पुत्र रामकेश, रामलाल, रामूलाल, प्रहलाद, राजकुमार व पुत्री श्रीमती इन्द्रा का 1/2 में 1/6 हिस्सा व बाबू पुत्र लल्लू के हिस्से 15 बीघा 8 बिस्वा में दो पुत्र रणजीत दो पुत्रियां श्रीमती शांति व श्रीमती माया वारिसान का 1/2 में 1/4 हिस्सा है जो अपना अपना हिस्सा ले लेना, परन्तु प्रतिवादीगण ने साफ ऐलानिया बंटवारा करने से मना कर दिया, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा चाही गई कि खाता संख्या 94/91 में वर्णित खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 फुलाराम के नाम 1.22 हैक्टेयर, खाता संख्या 99/96 अप्रार्थी संख्या 2 बाबूलाल पुत्र रामप्रताप के नाम दर्ज थी जो

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 रामनारायण पुत्र छोटूराम के नाम से 2.60 हैक्टैयर एवं 3.31 हैक्टेयर कुल 5.91 हैक्टेयर खाता संख्या 131/33 अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती रामचन्दी पती छाजूराम के नाम .22 हैक्टेयर जमीन का इन्द्राज है। को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त नामधारी खातेदारीयो को बेचान कर दिया, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है प्रार्थीगण के निहित हिस्से की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करे प्रार्थीगण की किसी हिस्से या सम्पूर्ण भूमि को बेचान, अन्तरण नही करे, प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक किसी प्रकार का इन्द्राज नही करे, यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की निषेधाज्ञा प्रार्थीगण द्वारा चाही गई। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को एकतरफा में विरूद्व अप्रार्थीगण निर्माण न करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने हेतु पारित कर दी। जिसके विरूद्व अप्रार्थी संख्या 3 रामनारायण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील संख्या 894/2016 का राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2016 द्वारा सुयोग्य न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए न्यायालय को उक्त प्रकरण पर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु आदेश पारित किया।

प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय पर न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र खण्ड–1 में वर्णित सजरा प्रार्थना पत्र के अन्य खण्डो में वर्णित इबारतो के स्वयं विरोधाभासी है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वयं के परिवार के सजरे का वर्णन अपूर्ण व अस्पष्ट है। विवादग्रस्त आराजी 22 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर बाबत प्रार्थीगण का यह कथन कतई मिथ्या है कि दिनांक 01.07.2016 को उक्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने से श्रवण पुत्र सुक्खा के नाम खातेदारी दर्ज हो रही है जबकि उक्त दिवस को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी अप्रार्थी सं 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में एक तरफ तो उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी होना 01.07.2016 का वर्णन कर रहे है जबकि अपने प्रार्थना पत्र में ही 24.09.2016 को वाक्या उत्पन्न होने का वर्णन कर रहे है उक्त दोनो तथ्य परस्पर विरोधाभासी है। उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र अपूर्ण दस्तावेज व अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसकी कि प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है समस्त कार्यवाही मुख्त्यार आम रामलाल पुत्र गोपाल मीणा द्वारा बिना किसी वैद्य दस्तावेज के की जा रही है तथा स्वयं रामलाल, गोपाल का पुत्र है जिसके अन्य वारिसान को सजरे में दर्शित किया गया है लेकिन रामलाल का उल्लेख बतौर वादी वाद पत्र में कही नही है, दूसरी तरफ प्रार्थीगण श्रवण पुत्र सुक्खा की पुत्री कविता व पुत्र कल्याण का उल्लेख कर रहे है तथा सजरे में भी दर्शित किया गया है लेकिन पैतृक सम्पत्ति के आधार पर प्रस्तुत वाद में उनके हिस्से बाबत किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नही किया गया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से अस्पष्ट व अपूर्ण है प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अपने तथ्यो को साबित नही कर सके है प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष विभाजन, दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार केवल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को है जबकि प्रार्थीगण ना ही तो अपने वाद पत्र से और ना ही प्रस्तुत किये गये दस्तोवज से किसी भी प्रकार से उक्त आराजी के निहित खातेदार अधिकारी है और ना ही बिना रिकार्डेड खातेदार के कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है वादी संख्या 1 मांगी देवी का प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये सजरे में कोई उल्लेख नही है और ना ही उसे बहैसियत पत्नी गोपाल मीणा दर्शित किया गया है तथा स्वर्गीय गोपाल के चार पुत्र क्रमशः शंभु, प्रहलाद, शकर व रामकेश को अप्रार्थी सं 2

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

लगायत 5 के रूप में अंकित किया गया है जबकि वर्णित सजरा व प्रार्थन पत्र के खण्ड 6 मे शंकर व शंभु जो प्रार्थी सं 2 व 4के रूप में अंकित है उनका कोई उल्लेख नही है ना ही उनको गोपाल का पुत्र अंकित किया गया है जबकि गोपाल के पांच पुत्र होने का अंकन प्रार्थना पत्र के खण्ड 6 में प्रार्थीगण द्वारा किया गया है जो परस्पर विरोधाभासी है इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 7 श्रीमती शांति को उनवान में पत्नी बाबूमीणा की हैसियत दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे में प्रार्थी सं 7 को बहैसियत पुत्री बाबूमीणा दर्शित किया गया है। मुख्त्यारआम रामलाल प्रार्थी सं 2 लगायत 5 का भाई व प्रार्थी सं 1 का पुत्र है जो प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार से पक्षकार संयोजित नही है। इसी प्रकार प्रार्थी सं 10 स्वयं को अपने पति के नाम की जानकारी नही होना संशय स्पष्ट करता है। प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्होने अप्रार्थीगण से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने का आग्रह किया कतई गलत है क्योकि प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त खातेदारी के रिकार्डेड खातेदार नही है और विभाजन का वाद केवल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को ही प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही स्पष्ट नही किया है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किस साल संवत मे उक्त रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन उक्त आराजी का बेचान नामधारी खातेदारो को कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है से कही स्पष्ट नही है कि उक्त नामधारी नाम कौन है जिनका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा हो तथा प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से खाता संख्या दर्ज कर विरूद्व अप्रार्थीगण निषेधाज्ञा चाह रहे है जबकि उक्त खाता संख्याओ में अनेक खसरा नम्बर दर्ज है जिनके बारे में प्रार्थीगण ने अपने हक व अधिकारो बाबत कोई उल्लेख नही किया है जबकि उक्त खाता संख्या 94/91 में 1.22 हैक्टैयर तथा 99/96 में 5.91 हैक्टैयर तथा खाता संख्या 131/33 में 0.22 हैक्टैयर में अपने अधिकार

Scanned by CamScanner

क्लेम कर रहे है। जबकि वाद पत्र कि दादरसी के खण्ड–स में कुल ,30 बीघा 16 बिस्वा भूमि में अपने अधिकार क्लेम कर रहे है अर्थात प्रार्थीगण के तथ्य स्वयं विरोधाभासी एवं अस्पष्ट है प्रार्थीगण अपने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में दर्शित किये गये खसरा नम्बरान व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बरान में कोई सामन्जस्य स्थापित नही कर सके है तथा प्रार्थीगण सुक्खा मीणा की खातेदारी की आराजी में पैतृक सम्पत्ति होने के कारण अपने अधिकार क्लेम कर रहे है जबकि वाद पत्र में दर्ज सजरे में सुक्खा के पिता के नाम का अंकन ही नही है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए विरूद्व अप्रार्थीगण कोई अनुतोष बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसी आशय का वर्णन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.102.16 में उल्लेखित किया है। तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर मौके पर निर्माण कार्य हो रहे है तथा उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियो को खुर्द बुर्द किया जा रहा है तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल को दर्शित करते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड, राजस्व जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसको कि अप्रार्थीगण खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह ता–फैसला वाद विवादग्रस्त आराजी का बेचान नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट है प्रार्थीगण के द्वारा वर्णित सजरे में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

संयोजित पक्षकार एवं वाद पत्र में बतौर वादी पक्षकार भि मांगी तथा ,कुछ पक्षकार सजरे मे तो वर्णित है जबकि वाद पत्र से उनवान में उनका कोई उल्लेख नही है। प्रार्थीगण अपने वाद पत्र के खण्ड–6 में श्रवण पुत्र सुक्खा की एक पुत्री कविता व कल्याण पुत्र होने का उल्लेख कर रहे है जबकि उनका वाद पत्र के उनवान में कोई उल्लेख नही है ना ही उनका पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा उनका कोई हिस्सा दर्शित किया गया है। तथा अप्रार्थी संख्या 10 को अपने पति का नाम ही ज्ञात नही है तथा अप्रार्थी सं 1 का उल्लेख प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे में कही भी नही है तथा प्रार्थी संख्या 7 शांति , बाबू की पत्नी है या पुत्री है कही भी स्पष्ट नही है इन अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण कोई भी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी उल्लेखित नही कर रहा है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर वर्तमान खसरा नम्बर है या गत खसरा नम्बर है तथा प्रार्थना पत्र में दौराने बहस जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी जो प्रस्तुत की गई है उनमें वर्णित खसरा नम्बर प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में वर्णित नही है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी उल्लेखित नही किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 को किस खाता संख्या की कौनसे खसरा नम्बर की भूमि श्रवण पुत्र सुक्खा के द्वारा विभिन्न विक्रय पत्रो द्वारा हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थी का वाद विभाजन का वाद है और विभाजन का वाद केवल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के किसी भी प्रकार से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र अथवा प्रार्थना पत्र के साथ पंजीबद्व मुख्त्यारनामाआम पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है तथा मीणा जाति में महिलाओ को कृषि भूमि पर किसी प्रकार कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण सं 3 के पक्ष में हो रहे विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु एक वाद अतिरिक्त

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पूर्व महानगर जयपुर उनवानी मांगी बनाम बाबूलाल प्रस्तुत किया गया जिसमें सुयोग्य न्यायालय से वादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व बेचान नही किये जाने की निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली सुयोग्य न्यायालय ने मौके एवं राजस्व रिकार्ड बाबत प्रार्थीगण को कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा एक अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर, अपील संख्या 58/2017 बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की, उक्त प्रार्थीगण की अपील को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर जयपुर द्वारा दिनांक 14.03.2018 को खारिज कर दिया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर जयपुर प्रार्थीगण के इस तथ्य से सहमत नही थे कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक व आधिपत्य है, उक्त आधारो पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण द्वारा न तो वाद पत्र में, ना अपने प्रार्थना पत्र में, ना दौहराने बहस अपने मौके पर काबिज होने बात कोई कथन किया गया है और बिना मौके पर कब्जे के विरूद्व अप्रार्थीगण निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इस आशय का निवेदन अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस बकुलाय फरीकेन समाहित की गई, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड राजस्व जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। उल्लेखित तथ्यो पर विचार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल परस्पर पर मिलान नही हो रहा है तथा राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के द्वारा वर्णित तथ्यो अनुसार नही है तथा प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि किस खसरा नम्बर की भूमि, किस प्रकार से उनकी पैतृक सम्पत्ति है,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा, प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अस्पष्ट एवं अपूर्ण है तथा प्रार्थीगण का उक्त विवादग्रस्त आराजी बाबत मौके पर कब्जा काश्त होना किसी भी प्रकार स्पष्ट नही है तथा प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में खाता संख्याओ पर निषेधाज्ञा चाह रहे है जो विधि अनुरूप नही है तथा खसरा नम्बरो के बारे में प्रार्थीगणो द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण के कथनानुसार यह स्वयं सिद्व है कि विवादग्रस्त आराजी के वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, जबकि सिविल न्यायालय से उक्त आराजी बाबत पूर्व में बेचान नही किये जाने की निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर द्वितीय,
जयपुर (शहर, जयपुर)

सहायक कलेक्टर द्वितीय
जयपुर शहर, जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.02.20 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: